भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1682

उत्तर देने की तारीख : 05.12.2024

एमएसएमई ऋण मूल्यांकन मॉडल

1682. **श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:**
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिजिटल फुटप्रिंट्स पर आधारित नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋण आकलन मॉडल के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तथा इससे एमएसएमई के लिए ऋण तक पहुंच में किस तरह सुधार होने की उम्मीद है;

(ख) इस मॉडल के कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है तथा अगले वर्ष मार्च के अंत तक इसके शुरू होने तक की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) नया मॉडल ऋण आकलन में उपयोग किए जाने वाले डिजिटल डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित करेगा तथा डेटा सुरक्षा विनियमों का अनुपालन करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) नए ऋण आकलन मॉडल को प्रभावी रूप से अपनाने और उपयोग करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को क्या प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाएगी; और

(ङ) मॉडल की प्रभावशीलता की उचित निगरानी और आकलन के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं, तथा एमएसएमई ऋण पहुंच पर इसके प्रभाव का किस तरह से आकलन किया जाएगा?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से **(ङ)** : केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का मूल्यांकन करने के लिए बाहरी मूल्यांकन पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आंतरिक क्षमता का निर्माण करेंगे और अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंट्स के स्कोरिंग के आधार पर एक नया ऋण मूल्यांकन मॉडल विकसित करने या विकसित कराने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।

वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बजट घोषणा को लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीएफएस ने यह भी बताया है कि डिजिटल डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इन्हें मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और आयकर रिटर्न डेटा जैसे पोर्टल से प्राप्त करने का प्रस्ताव है, जिसमें सुरक्षित एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का उपयोग किया जाता है।

*****